

16/11/22

पञ्जावली पेश हुई। प्राथमिकी वकील अनुभवा
चुंकि मूलताद को बहुत पुरानी बहुत काजरी में
श्वरीज किया जा चुका है अब इन आन्दोलन को आगे
चलाने का कोई मौचित्य नहीं है अतः इन आन्दोलन
की कार्यवाही वही माल से समाप्त की जाती है।

पञ्जावली फौजल शुमार कोटल दाखिल करल को।
मूलताद के संलग्न को।

(Signature)

